Permission to foreign industrial Companies to set up industries

*79. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEERA AFZAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of foreign industrial companies permitted to set up industries on a large scale in India under the New Industrial Policy as on 30th June, 1994; and

(b) what are the sectors in which these companies are assuring to strengthen the Indian economy by industrialisation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) and (b) 134 foreign industrial companies have been permitted to set up wholly owned subsidiaries in India under the New Industrial Policy upto June, 1994.

These are in sectors such as computer software, leather footwear, granite tiles, quartz watches, crude oil refinery, solar salt, medical/diagnostic facilities, citric acid, food processing, electrical and electronic equipment, computers, deep sea fishing, water waste treatment equipment, power projects, surface mining equipment etc.

राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत

*80. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
श्री चनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितनी शिकायतें भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध हैं ; और

(ख) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवाओं के समूह "क" की 45 सेवाओं तथा समूह "ख" की बहुत सी सेवाओं से संबंधित हैं। ये अधिकारी भारत सरकार के 43 मंत्रालयों के विभिन्न विभागों के अधीन विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत हैं। प्रत्येक विभाग उनके यहां उस समय कार्यरत अधिकारियों के बारे में शिकायतों पर कार्यवाही करने में सक्षम है। किन्तु ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों के बारे में सूचना केन्द्रीकृत रूप से न तो रखी जाती है और न ही मॉनिटर की जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जब राज्यों में कार्यरत होते हैं तो उनके विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए संबंधित राज्य सरकारें सक्षम होती हैं। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों के बारे में सूचना भारत सरकार द्वारा केन्द्रीकृत रूप से रखी अथवा मॉनिटर नहीं की जाती है। जहां तक भारत सरकार के अधीन कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का संबंध है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बारे में 56 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, इनमें से 22 शिकायतों को प्रारम्भिक जांच के बाद समाप्त कर दिया गया, 24 मामलों में जांच चल रही है, 9 मामलों के बारे में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई है तथा एक मामले में अभियोजन की मंजूरी प्रदान की गई।

Accidents in Nuclear Power Plants

308. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether accidents have taken place in Atomic Power Plants;

(b) if so, how many such accidents have taken place so far and what are the details thereof giving the reasons for such accidents, plant-wise;